न्यायालयः— वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या—01 वैर, जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— नमोनारायण मीणा, आर0जे0एस
दीवानी प्रकरण संख्या :— 38/2024
सी0आई0एस0 नंबर :— 33/2024

रमला सिंह पुत्र चिरंजी, निवासी ग्राम खेरली गूजर, तहसील वैर, जिला भरतपुर।

.....वादी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र स्व0 नत्थी,
2. सोनदेई पत्नी गिर्राज,

निवासीयान ग्राम खेरली गूजर, तहसील वैर, जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं मैन्डेटरी इन्जक्शन

उपस्थितिः—

1—श्री गोपालराम शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से।

2—श्री मानसिंह धाकड, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की ओर से।

::निर्णय::—

दिनांकः— 17.03.2026

01. वादी की ओर से प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं मैन्डेटरी इंजक्शन का पेश किया गया है। वादपत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय पुख्ता मकान वाके ग्राम खेरली गूजर तहसील वैर में स्थित है, जिसके सामने तरफ पूर्व में शामलाती चौक रास्ता निकास है, जिसे संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, जिसकी नाप व पैमाइश वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित की गई हैं। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से प्रदर्शित शामलाती चौक में होकर वादी का रास्ता निकास है व उक्त शामलाती चौक को समस्त मोहल्ला वासियान अपने विवाह, उत्सव, समारोह करने आदि बाबत अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा आवागमन का मुख्य स्रोत है। प्रतिवादीगण लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो शामलाती चौक रास्ते की जमीन को अवैधानिक व अनैतिक रूप से अतिक्रमण कर अपनी जमीन में मिलाकर चबूतरा पुख्ता का निर्माण करना चाहते हैं तथा नक्शे में प्रदर्शित बिंदु ए से बी भाग पर पुख्ता चबूतरा बना लिया है और शेष उक्त नाप से वर्णित शामलाती चौक रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता शामलाती चौक को अवरुद्ध कर वादी के निकास को बंद करने पर आमादा हैं। वादी ने दिनांक 25.05.24 को प्रतिवादीगण से उक्त शामलाती रास्ता चौक में अतिक्रमण कर शामलाती चौक रास्ते को अवरुद्ध करने से मना

किया तो प्रतिवादीगण नहीं माने और वादी को गालियां देने लग गए और धमकी दी कि उन्होंने कुछ भाग पर तो अतिक्रमण कर पुख्ता चबूतरा बना लिया है और धीरे–धीरे सम्पूर्ण शामलाती चौक रास्ते पर अतिक्रमण कर शामलाती चौक रास्ते को अवरुद्ध कर देंगे और यहां कोई शामलाती चौक का नामोनिशान नहीं रहेगा और उसके घर के मुख्य रास्ते को बंद कर देंगे। इस कारण वादी को यह दावा पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गए तो वादी को सख्त हकतलफी व बर्बादी एवं अपरिमित क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी और वादी को अन्य मोहल्लावासियों को शामलाती चौक रास्ते से महरूम व बेदखल होना पडेगा और वादी के घर का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। वाद का कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी के लिए दिए जाने धमकी दिनांक 25.05.25 वमुकाम खेरली गूर्जर तहसील वैर पैदा हुआ है। दावा अंदर अवधि में पेश है। विवादित स्थल व पक्षकारान का निवास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, अतः वादी की सुनवाई के पूर्ण अधिकार न्यायालय को प्राप्त हैं। वाद का मूल्यांकन 1000/– कायम किया जाकर न्यायशुल्क व तलबाना शुल्क नियमानुसार चस्पा कर पेश है। अंत में वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाने का निवेदन किया कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित शामलाती चौक रास्ता जिसे संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, में प्रतिवादीगण किसी प्रकार अतिक्रमण कर शामलाती चौक की भूमि को अवरुद्ध नहीं करें तथा रास्ता निकास में व्यवधान पैदा नहीं करें। दौराने दावा शामलाती रास्ता चौक में किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे जरिए मैंडेटरी इंजक्शन हटवाया जाकर साफ कराया जावे।

02. इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा सहित काउन्टर क्लेम पेश कर वादपत्र के समस्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र के तथ्यों को गलत बताया एवं कथन किया कि वादपत्र की खंड संख्या 1 में वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाई गई जायदाद वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की पुख्ता मकानियत वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील वैर में होना बताया है, जिसके तरफ पूर्व में कोई भी शामलाती चौक रास्ता निकास नहीं है तथा प्रतिवादी एवं उसके चचेरे भाई की स्वामित्व व आधिपत्य की शामलाती जायदाद को जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के साथ संलग्न नक्शे में रंग आसमानी से दर्शाया है, जिसकी नाप व पैमाइश भी वादी द्वारा गलत दर्शाई हैं। तरफ उत्तर आम रास्ता 22 फुट गोलाई में, तरफ दक्षिण प्रतिवादी का एवं चचेरे भाई का पक्का मकान एवं चबूतरा नाप इस ओर 32 फीट 6 इंच, तरफ पूर्व रास्ता आम सडक नाप गोलाई वाली एवं चबूतरा 8 फीट, तरफ पश्चिम रास्ता गली 3 फीट चौडी वाद वादी का मकान लेकिन जवाबदावे के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से वादी का 3 फीट चौडे रास्ते में अतिक्रमण दर्शाया है। प्रतिवादीगण एवं उसके चचेरे भाइयों भजनलाल वगैरह, निहालसिंह, दाताराम, समंदर की शामलाती जायदाद है, जिसे प्रतिवादी के द्वारा जवाब/काउंटर क्लेम के मानचित्र में चबूतरा एवं खाली जगह शामलाती के रूप में दर्शाया गया है और प्रतिवादीगण द्वारा

पेशकर्दा नक्शे में रंग सुर्ख से दर्शाया गया अतिक्रमण रास्ता निकास स्वयं वादी ने कर रखा है। विवादित जायदाद प्रतिवादीगण की जायदाद है। वादी द्वारा रास्ता निकास की भूमि में अतिक्रमण करने के पश्चात वादी स्वयं प्रतिवादीगण की खुली जमीन के सहारे तरफ पश्चिम को होकर आवागमन करता है, जिसे प्रतिवादीगण के द्वारा नक्शे में यथास्थान दर्शाया है। वादी का बेटा महेन्द्र महान वकील होने के कारण प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने में लगा है तथा शामलाती चौक रास्ते की जमीन है ही नहीं, बल्कि प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है तथा पुख्ता चबूतरा करीब 15 वर्ष पूर्व से बना हुआ है तथा वादी ने प्रतिवादीगण एवं उसके चचेरे भाइयों का रास्ता निकास में अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे/काउंटर क्लेम की मद संख्या 10 में सजरा पेश किया है। प्रतिवादी गिर्राज एवं सजरा में दर्शित उसके चचेरे भाई की स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील वैर में स्थित है, जिसे काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शाया है तथा नाप व सीमाएं मानचित्र में दी गई हैं। उक्त मानचित्र में प्रतिवादीगण की मकानियत के तरफ पूर्व में 3 फुट चौडी रास्ता गली स्थित है, जिसमें प्रतिवादी एवं उसके चचेरे भाइयों व तरफ दक्षिण में बसावट वाले गांव के व्यक्ति आवागमन रास्ता गली के रूप में करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा पेशकर्दा मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शाए स्थान पर वादी ने उक्त रास्ता गली को करीब डेढ वर्ष पूर्व पक्का निर्माण कर अवरुद्ध कर दिया है तथा प्रतिवादीगण के चबूतरे के पश्चिमी कोने पर मात्र 1–1/1/2 फीट चौडाई में जगह छोडी है। उक्त रास्ता गली में वादी के द्वारा अतिक्रमण करने से प्रतिवादीगण एवं उसके चचेरे भाइयों एवं तरफ दक्षिण में बसे लोगों का आना जाना अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिवादीगण उवं उसके चचेरे भाइयों का निकास यथास्थान तरफ पश्चिम में दर्शाया है, जिसे प्रतिवादीगण जरिए मैंडेटरी इंजक्शन तुडवाकर साफ कराने के अधिकारी हैं एवं उक्त अतिक्रमण को वादी ने अपने मानचित्र में नहीं दर्शाया है, जिससे साबित होता है कि अपनी जायदाद एवं प्रतिवादीगण की जायदाद के मध्य 3 फीट चौडी गली रास्ता विद्यमान है। प्रतिवादीगण की जायदाद जिसे काउंटर क्लेम के साथ पेशकर्दा नक्शे में रंग आसमानी से किया है को प्रतिवादीगण के पूर्वज दौजीराम उर्फ नौजीराम पुत्र भागीरथ ने तत्कालीन ग्राम पंचायत पाली तहसील वैर दिनांक 28.04.1983 को नक्शा मंजूरी प्राप्त कर निर्माण कराया था तथा इस नक्शा मंजूरी के तरफ पश्चिम को स्थित मकानियत वालों ने 3 फीट चौडी गली रास्ता निकास छोडा था, जिसे वादी ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रतिवादीगण के पूर्वज दौजीराम उर्फ नौजीराम द्वारा प्राप्त मंजूरी नक्शा के तभी से प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में उक्त जायदाद चली आ रही है, इसलिए वादी के कथनानुसार न तो चौक शामलाती रास्ता निकास है और न ही शामलाती चौक की जायदाद है। उक्त जवाबदावा व काउंटर क्लेम वादी द्वारा झूठा दावा करने पर एवं उसके नोटिस प्राप्त होने पर तथा वादी द्वारा करीब 1–1/1/2 वर्ष पूर्व रास्ता निकास गली को अवरुद्ध करने पर काउंटर क्लेम पेश करने के कारण पैदा हुआ है। काउंटर क्लेम पेश करने हेतु व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद

मूल्यांकन 1000/– रुपए कायम किया जाकर एवं मैंडेटरी का वाद मूल्यांकन 1000/– रुपए कायम किया जाकर 50/– रुपए कोर्टफीस चस्पा कर पेश है। अंत में वादी का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम वादी के विरुद्ध निम्न प्रकार डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शित रास्ता गली में हुए निर्माण को वादी के खर्चे पर तुडवाया जाकर साफ कराया जावे एवं इसमें भविष्य में कोई निर्माण नहीं करें। वादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शित जायदाद में प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा व रुकावट न डाले एवं निर्माण करने से नहीं रोके।

03. प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाबदावा/काउंटर क्लेम का जवाब उल जवाब वादी की ओर से पेश कर प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम के समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय पुख्ता मकान वाके ग्राम खेरली गूजर तहसील वैर में स्थित है, जिसके सामने तरफ पूर्व में शामलाती चौक रास्ता निकास है, जिसे संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, जिसकी नाप व पैमाइश जवाब उल जवाब की मद संख्या 1 में वर्णित की गई हैं। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से प्रदर्शित शामलाती चौक में होकर वादी का रास्ता निकास है व उक्त शामलाती चौक को समस्त मोहल्ला वासियान अपने विवाह, उत्सव, समारोह करने आदि बाबत अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा आवागमन का मुख्य स्रोत है। प्रतिवादीगण लठैत व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जो शामलाती चौक रास्ते की जमीन को अवैधानिक व अनैतिक रूप से अतिक्रमण कर अपनी जमीन में मिलाकर चबूतरा पुख्ता का निर्माण करना चाहते हैं तथा नक्शे में प्रदर्शित बिंदु ए से बी भाग पर पुख्ता चबूतरा बना लिया है और शेष उक्त नाप से वर्णित शामलाती चौक रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता शामलाती चौक को अवरुद्ध कर वादी के निकास को बंद करने पर आमादा हैं। वादी ने दिनांक 25.05.24 को प्रतिवादीगण से उक्त शामलाती रास्ता चौक में अतिक्रमण कर शामलाती चौक रास्ते को अवरुद्ध करने से मना किया तो प्रतिवादीगण नहीं माने और वादी को गालियां देने लग गए और धमकी दी कि उन्होंने कुछ भाग पर तो अतिक्रमण कर पुख्ता चबूतरा बना लिया है और धीरे–धीरे सम्पूर्ण शामलाती चौक रास्ते पर अतिक्रमण कर शामलाती चौक रास्ते को अवरुद्ध कर देंगे और यहां कोई शामलाती चौक का नामोनिशान नहीं रहेगा और उसके घर के मुख्य रास्ते को बंद कर देंगे। प्रतिवादीगण अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गए तो वादी को सख्त हकतलफी व बर्बादी एवं अपरिमित क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी और वादी को अन्य मोहल्लावासियों को शामलाती चौक रास्ते से महरूम व बेदखल होना पडेगा और वादी के घर का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। वाद का कारण प्रतिवादीगण द्वारा वादी के लिए दिए जाने धमकी दिनांक 25.05.24 वमुकाम खेरली गूर्जर तहसील वैर पैदा हुआ है। दावा अंदर अवधि में पेश है। विवादित स्थल व पक्षकारान का निवास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, अतः वादी की सुनवाई के पूर्ण अधिकार

न्यायालय को प्राप्त हैं। वादी ने अपने विशेष विवरण में यह कथन किया है कि सजरा में प्रतिवादीगण द्वारा मृतक प्यारे के पुत्र उदल को नहीं दर्शाया है एवं मृतक नत्थी की पुत्री माया व मृतक हरेती की पुत्री चन्दो को सजरा में नहीं दर्शाया है। पूर्व में रास्ता आम की भूमि है। वादी द्वारा गली में कोई भी अतिक्रमण किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिवादी द्वारा शामलाती चौक में अतिक्रमण कर आवागमन में रूकावट पैदा कर दी गई है। प्रतिवादी द्वारा जो मानचित्र अपने जवाब के साथ पेश किया है, वह मौके के विपरीत है। मंजूरी जो प्रतिवादीगण द्वारा पेश की है उस पर कहीं पर भी सचिव/सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है, इस कारण उक्त मंजूरी फर्जी व बनावटी है क्योंकि दिनांक 28.04.83 को कोई मंजूरी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जगह पर निर्माण किया है, बल्कि शामलाती चौक में अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य किया गया है और उक्त नक्शा मंजूरी में कोई गली पश्चिम दिशा में नहीं है। प्रतिवादी द्वारा शामलाती चौक पर अतिक्रमण किया गया था, इस कारण वादी द्वारा वादपत्र पेश किया है, जबकि यदि वादी द्वारा अतिक्रमण किया गया होता तो प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विरुद्ध कोई भी दावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने काउंटर क्लेम में बढाचढाकर तथ्यों को पेश किया है। अंत में जवाब उल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम मय हर्जा खारिज किए जाने का निवेदन किया।

04. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक कायम किये गये :–

1. आया वादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित शामलाती चौक रास्ता जिसे संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, में प्रतिवादीगण किसी प्रकार अतिक्रमण कर शामलाती चौक की भूमि को अवरुद्ध नहीं करें तथा रास्ता निकासी में व्यवधान पैदा नहीं करें?

   .....वादी

2. आया वादी दौराने दावा शामलाती चौक रास्ता में किसी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे जरिए मैंडेटरी इंजक्शन हटवाया जाकर साफ कराने का अधिकारी है?

   .....वादी

3. आया प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शित रास्ता गली में हुए निर्माण को वादी के खर्चे पर तुडवाया जाकर साफ करने व इसमें भविष्य में कोई निर्माण नहीं करने की आज्ञा पाने का अधिकारी है?

   .....प्रतिवादीगण

4. आया वादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शित जायदाद में प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा व रुकावट न डाले व निर्माण करने से नहीं रोके ?

   .....प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

05. दिनांक 22.01.2026 को अधिवक्ता वादी की ओर से दावा विड्रॉ किए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दावा वादी की हद तक विड्रॉ किये जाने से खारिज किया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से पूर्व में पेश काउंटर क्लेम की हद तक ही साक्ष्य लेखबद्ध की गई।

06. प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 गिर्राज, डी.डब्ल्यू–2 समंदर, डी.डब्ल्यू–3 देवीसिंह व डी.डब्ल्यू–4 जानकी प्रसाद को पेश कर बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में काउंटर क्लेम के साथ पेश नक्शा प्रदर्श डी–1, वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा जो काउंटर क्लेम के साथ पेश किया प्रदर्श डी–2, नक्शा मकान निर्माण मंजूरी दिनांक 28..04.83 प्रदर्श डी–3, मंजूरी प्रदर्श डी–4, ग्राम पंचायत पाली से ली गई मंजूरी की नकल प्रदर्श डी–5 को प्रदर्शित करवाया है।

07. वादी की ओर से साक्ष्य वादी में वादी ने स्वयं को पी.डब्ल्यू.1 रमला सिंह के तौर पर पेश कर परीक्षित करवाया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कार्यालय ग्राम पंचायत पाली की मंजूरी प्रदर्श पी–1 व संलग्न नक्शा प्रदर्श पी–2 को प्रदर्शित करवाया गया है।

08. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अभिवचनों व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर प्रकरण में कायम किये गये विवाद्यकों के संबंध में न्यायालय का विवेचनात्मक निष्कर्ष निम्नानुसार है–

<u>विवाद्यक बिन्दु–01 व 02</u>

1. आया वादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित शामलाती चौक रास्ता जिसे संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, में प्रतिवादीगण किसी प्रकार अतिक्रमण कर शामलाती चौक की भूमि को अवरुद्ध नहीं करें तथा रास्ता निकासी में व्यवधान पैदा नहीं करें?

   .....वादी

2. आया वादी दौराने दावा शामलाती चौक रास्ता में किसी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे जरिए मैंडेटरी इंजक्शन हटवाया जाकर साफ कराने का अधिकारी है?

   .....वादी

09. विवाद्यक संख्या 01 व 02 को साबित करने का भार वादी पर था, जिसके लिए वादी ने दिनांक 22.01.2026 को एक प्रार्थना पत्र बाबत दावा विड्रॉ किए जाने का पेश किया गया, जिस पर वादी का उक्त वादपत्र वादी की हद तक विड्रॉ किए जाने के कारण खारिज किया जा चुका है। चूंकि वादी द्वारा अपना दावा दिनांक 22.01.2026 को विड्रॉ कर लिया है और विड्रॉ के आधार पर दावा खारिज किया जा चुका है। इसलिए उक्त दोनों तनकीयात का निस्तारण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः विवाद्यक संख्या 01 व 02 वादी द्वारा अपना दावा विड्रॉ किए जाने के आधार खारिज किए जाते हैं।

<u>विवाद्यक बिन्दु–03 व 04</u>

3. आया प्रतिवादीगण द्वारा काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शित रास्ता गली में हुए निर्माण को वादी के खर्चे पर तुडवाया जाकर साफ करने व इसमें भविष्य में कोई निर्माण नहीं करने की आज्ञा पाने का अधिकारी है?

.....प्रतिवादीगण

4. आया वादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शित जायदाद में प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा व रुकावट न डाले व निर्माण करने से नहीं रोके ?

.....प्रतिवादीगण

10. विवाद्यक संख्या 03 व 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। उक्त विवाद्यक एक–दूसरे से अंतर्संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उक्त तनकीयात का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवाद्यकों के संदर्भ में दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपने काउंटर क्लेम में अंकित तथ्यों का दोहराव कर तर्क दिया है कि प्रतिवादी एवं उसके चचेरे भाई की स्वामित्व व आधिपत्य की शामलाती जायदाद को जवाबदावा एवं काउंटर क्लेम के साथ संलग्न नक्शे में रंग आसमानी से दर्शाया है, जिसकी नाप व पैमाइश वादी द्वारा गलत दर्शाई हैं। तरफ उत्तर आम रास्ता 22 फुट गोलाई में, तरफ दक्षिण प्रतिवादी का एवं चचेरे भाई का पक्का मकान एवं चबूतरा नाप इस ओर 32 फीट 6 इंच, तरफ पूर्व रास्ता आम सडक नाप गोलाई वाली एवं चबूतरा 8 फीट, तरफ पश्चिम रास्ता गली 3 फीट चौडी वाद वादी का मकान लेकिन जवाबदावे के साथ संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से वादी का 3 फीट चौडे रास्ते में अतिक्रमण दर्शाया है। विवादित जायदाद प्रतिवादीगण की जायदाद है। शामलाती चौक रास्ते की जमीन है ही नहीं, बल्कि प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है तथा पुख्ता चबूतरा करीब 15 वर्ष पूर्व से बना हुआ है तथा वादी ने प्रतिवादीगण एवं उसके चचेरे भाइयों का रास्ता निकास में अतिक्रमण कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे/काउंटर क्लेम की मद संख्या 10 में सजरा पेश किया है। प्रतिवादी गिर्राज एवं सजरा में दर्शित उसके चचेरे भाई की स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील वैर में स्थित है, जिसे काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शाया है तथा नाप व सीमाएं मानचित्र में दी गई हैं। उक्त मानचित्र में प्रतिवादीगण की मकानियत के तरफ पूर्व में 3 फुट चौडी रास्ता गली स्थित है, जिसमें प्रतिवादी एवं उसके चचेरे भाइयों व तरफ दक्षिण में बसावट वाले गांव के व्यक्ति आवागमन रास्ता गली के रूप में करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा पेशकर्दा मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शाए स्थान पर वादी ने उक्त रास्ता गली को करीब डेढ वर्ष पूर्व पक्का निर्माण कर अवरुद्ध कर दिया है तथा प्रतिवादीगण के चबूतरे के पश्चिमी कोने पर मात्र 1–1/1/2 फीट चौडाई में जगह छोडी है। उक्त रास्ता गली में वादी के द्वारा अतिक्रमण करने से प्रतिवादीगण एवं उसके

चचेरे भाइयों एवं तरफ दक्षिण में बसे लोगों का आना जाना अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिवादीगण की जायदाद जिसे काउंटर क्लेम के साथ पेशकर्दा नक्शे में रंग आसमानी से किया है को प्रतिवादीगण के पूर्वज दौजीराम उर्फ नौजीराम पुत्र भागीरथ ने तत्कालीन ग्राम पंचायत पाली तहसील वैर दिनांक 28.04.1983 को नक्शा मंजूरी प्राप्त कर निर्माण कराया था तथा इस नक्शा मंजूरी के तरफ पश्चिम को स्थित मकानियत वालों ने 3 फीट चौडी गली रास्ता निकास छोडा था, जिसे वादी ने अतिक्रमण कर रखा है। प्रतिवादीगण के पूर्वज दौजीराम उर्फ नौजीराम द्वारा प्राप्त मंजूरी नक्शा के तभी से प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य में उक्त जायदाद चली आ रही है, इसलिए वादी के कथनानुसार न तो चौक शामलाती रास्ता निकास है और न ही शामलाती चौक की जायदाद है। अंत में प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

11. इसके विपरीत अधिवक्ता वादी की ओर से दौराने बहस अपने जवाब उल जवाब में अंकित तथ्यों का दोहराव कर तर्क दिया कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का आवासीय पुख्ता मकान वाके ग्राम खेरली गूजर तहसील वैर में स्थित है, जिसके सामने तरफ पूर्व में शामलाती चौक रास्ता निकास है, जिसे संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से दर्शाया गया है, जिसकी नाप व पैमाइश जवाब उल जवाब की मद संख्या 1 में वर्णित की गई हैं। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में रंग सुर्ख से प्रदर्शित शामलाती चौक में होकर वादी का रास्ता निकास है व उक्त शामलाती चौक को समस्त मोहल्ला वासियान अपने विवाह, उत्सव, समारोह करने आदि बाबत अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा आवागमन का मुख्य स्रोत है। प्रतिवादीगण शामलाती चौक रास्ते की जमीन को अवैधानिक व अनैतिक रूप से अतिक्रमण कर अपनी जमीन में मिलाकर चबूतरा पुख्ता का निर्माण करना चाहते हैं तथा नक्शे में प्रदर्शित बिंदु ए से बी भाग पर पुख्ता चबूतरा बना लिया है और शेष उक्त नाप से वर्णित शामलाती चौक रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता शामलाती चौक को अवरुद्ध कर वादी के निकास को बंद करने पर आमादा हैं। सजरा में प्रतिवादीगण द्वारा मृतक प्यारे के पुत्र उदल को नहीं दर्शाया है एवं मृतक नत्थी की पुत्री माया व मृतक हरेती की पुत्री चन्दो को सजरा में नहीं दर्शाया है। पूर्व में रास्ता आम की भूमि है। वादी द्वारा गली में कोई भी अतिक्रमण किसी भी प्रकार का नहीं किया गया है, बल्कि प्रतिवादी द्वारा शामलाती चौक में अतिक्रमण कर आवागमन में रूकावट पैदा कर दी गई है। प्रतिवादी द्वारा जो मानचित्र अपने जवाब के साथ पेश किया है, वह मौके के विपरीत है। मंजूरी जो प्रतिवादीगण द्वारा पेश की है उस पर कहीं पर भी सचिव/सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है, इस कारण उक्त मंजूरी फर्जी व बनावटी है क्योंकि दिनांक 28.04.83 को कोई मंजूरी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जगह पर निर्माण किया है, बल्कि शामलाती चौक में अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य किया गया है और उक्त नक्शा मंजूरी में कोई गली पश्चिम दिशा में नहीं है। प्रतिवादी द्वारा शामलाती चौक पर अतिक्रमण किया गया था, इस कारण वादी द्वारा वादपत्र पेश किया है, जबकि यदि वादी द्वारा अतिक्रमण किया गया होता तो प्रतिवादीगण द्वारा

वादी के विरुद्ध कोई भी दावा पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा अपने काउंटर क्लेम में बढाचढाकर तथ्यों को पेश किया है। अंत में जवाब उल जवाब को रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम मय हर्जा खारिज किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से फॉर्म नंबर 3 के साथ फैसला फॉर्म तारीख 18.10.82 पेश किया है।

12. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। बहस में उठाये गये तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली और दोनों पक्षकारान की ओर से पेश की गयी साक्ष्य का न्यायिक विवेचनानुसार अवलोकन किया। विवाद्यक संख्या तीन व चार एक–दूसरे से संबंधित होने के कारण तथ्य व साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं होने के आशय से उक्त दोनों विवाद्यकों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। उक्त विवाद्यकों के संबंध में पत्रावली पर आयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो विवाद्यक संख्या 03 व 04 को साबित करने के लिए प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में कुल 04 गवाहान को परीक्षित करवाया है जिसमें स्वयं प्रतिवादी गिर्राज डीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपना साक्ष्य शपथ पत्र काउंटर क्लेम के सभी तथ्यों का दोहराव कर हूबहू पेश किया है। उक्त गवाह ने दस्तावेजी साक्ष्य में काउंटर क्लेम के साथ नक्शा प्रदर्श डी–1, वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा जो काउंटर क्लेम के साथ पेश किया है, प्रदर्श डी–2, नक्शा मकान निर्माण मंजूरी दिनांक 28.04.83 प्रदर्श डी–3 तथा मंजूरी प्रदर्श डी–4 पेश कर प्रदर्शित कराई गई है। उक्त गवाह प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि प्रदर्श डी–3 मकान निर्माण मंजूरी उसके बाबा ने ली थी, जिसका नाम नौजीराम था। यह बात सही है कि तरफ अगोनी मंजूरी में 13 फुट रास्ता छोडने की बात थी। यह बात भी सही है कि उस तरफ 13 फुट रास्ता छोडा है। प्रदर्श डी–3 में ए, बी, सी, डी मार्क की मंजूरी ली गई थी। प्रदर्श डी–3 में तरफ पश्चिम चपेटा बीधा जाटव का मकान गलत लिखा हुआ है। यह बात सही है कि प्रदर्श डी–3 में तरफ पश्चिम में गली नहीं है। गली डेढ फुट उनकी व डेढ फुट बीधा की गली है। यह बात सही है कि तरफ पश्चिम में वादी रमला या उसके पिता ने पूरी गली छोडी हो तो वह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि सजरा में माया, उदल व हरेती की लडकी का नाम नहीं लिखाया। यह बात सही है कि उसने अपने काउंटर क्लेम में अपने भाइयों को पक्षकार नहीं बनाया। यह बात सही है कि आज वादी का मकान बना हुआ है और उसका निकास तरफ पश्चिम में उत्तर–कॉर्नर चौक में है। यह बात सही है कि रमला के मकान के लिए उसके पिता व बाबा ने आपत्ति नहीं की। यह बात सही है कि गली से उनका आना जाना नहीं है, लेकिन पानी का निकास है। उनके व समंदर के मकान का निवास तरफ उत्तर में है। उनके मकान का निकास दगरे में आकर खुलता है। यह कहना गलत है कि झगडा केवल पानी निकालने पर हो, बल्कि गली घेरने पर भी है।

13. इसी के साथ गवाह डी.डब्ल्यू–2 समन्दर परीक्षित हुआ है, जिसने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया है कि काउंटर क्लेम के साथ पेशकर्दा मानचित्र में आसमानी रंग से प्रदर्शित जायदाद प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है तथा मानचित्र में पीले रंग से उनकी जायदादों

का निकास दर्शाया है। मानचित्र में लाल रंग वाले स्थान पर वादी रमला ने अतिक्रमण कर उनके रास्ता गली में सीढियां लगाकर रास्ता गली को अवरुद्ध कर दिया है, जिसे साफ कराया जावे। वादी ने अपने मानचित्र में रास्ता गली में कोई भी अतिक्रमण नहीं दर्शाया है और बाद में अतिक्रमण कर लिया है। उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि वह गिर्राज के पक्ष में आज बयान देने आया है। उक्त शपथ पत्र मेकं क्या लिखा हुआ है, वह नहीं बता सकता है।

14. इसी के साथ गवाह डी.डब्ल्यू–3 देवीसिंह धाकड परीक्षित हुआ है, जिसने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में कथन किया है कि उसने विवादित जायदाद का नक्शा गिर्राज वगैरह की हस्व हिदायतों के मुताबिक दिनांक 04.07.24 को बनाया है, जिसमें मौके के हालात यथास्थान दर्शाए गए हैं। उक्त गवाह जिरह में कथन करता है कि नक्शा उसने हस्व हिदायत प्रतिवादी के कहे अनुसार नक्शा बनाया था।

15. इसी क्रम में गवाह डीडब्ल्यू–4 जानकी प्रसाद परीक्षित हुआ है, जिसने अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिवादी गिर्राज के साक्ष्य शपथ पत्र के हूबहू पेश किया है तथा मंजूरी की नकल प्रदर्श डी–5 को प्रदर्शित कराया है। उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि यह सही है कि प्रदर्श डी–3 मंजूरी उनकी ही है। मंजूरी प्रदर्श डी–3 के बारे में गलत वह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि उनके मकानात की मंजूरी प्रदर्श डी–3 27.02.69 की है, 10.04.83 भी गली की मंजूरी है। मकान के तरफ उत्तर में कोई शामलाती चौक नहीं है। उसके मकान के बाद तरफ उत्तर में 22 फुट जमीन है, उसके बाद रास्ता है। पूरे मकान का मुख्य द्वारा उत्तर की तरफ है।

16. इसी के साथ वादी की ओर से स्वयं को पीडब्ल्यू–1 के रूप में पेश कर परीक्षित कराया है, जिसने अपना साक्ष्य शपथ पत्र अपने जवाब उल जवाब के तथ्यों के हूबहू पेश किया है। उक्त गवाह ने कार्यालय ग्राम पंचायत पाली की मंजूरी प्रदर्श पी–1 व संलग्न नक्श प्रदर्श पी–2 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि प्रदर्श पी–1 निर्माण मंजूरी उसने दिनांक 21.05.82 को ग्राम पंचायत पाली के सरपंच बाबूलाल से प्राप्त की थी एवं नक्शा भी इसी के साथ प्राप्त किया था। यह सही है कि प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–2 के द्वारा पूर्व दिशा में सीढियां या फर्श लगाने की मंजूरी नहीं है। यह सही है कि उसने अपने मकान के तरफ पूर्व में 3 फुट चौडी गली व दरवाजा दर्शाया है। यह कहना गलत है कि उसने दिनांक 26.05.24 के पश्चात उसके मकान के पूर्व में स्थित दरवाजे के सामने सीढियां बना दी हों व गली को अवरोध कर दिया हो। यह कहना गलत है कि गिर्राज वगैरह की मकानियत के दरवाजे व निकास तरफ पश्चिम में है, बल्कि उत्तर की ओर है।

17. इस प्रकार तनकी संख्या 03 व 04 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने अपने काउंटर क्लेम में जो अनुतोष चाहे हैं इन अनुतोषों के आधार पर उक्त तनकीयात कायम किए गए हैं, जिसमें प्रतिवादीगण को यह साबित करना है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श डी–1 में प्रतिवादीगण ने लाल रंग से जो स्थल दर्शाया है वह

वादी के द्वारा अतिक्रमित होना बताया है कि वादी ने उक्त स्थान पर अतिक्रमण कर सीढियां बना ली हैं, इसलिए उन्हें हटवाया जावे और प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि के संबंध में यह तर्क दिया है कि उक्त भूमि वादी की नहीं होकर प्रतिवादी की है, जिस पर वादी को सीढियां निकालने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर प्रतिवादी ने यह मंजूरी नक्शा प्रदर्श डी–3 पेश किया है, जिससे प्रतिवादी यह स्पष्ट करना चाहता है कि नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 में लाल रंग से दर्शित स्थल पर वादी ने गलत अतिक्रमण किया है। ऐसे में दस्तावेज प्रदर्श डी–3 आवश्यक और महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है। उक्त दस्तावेज के अनुसार प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का अवलोकन करें तो प्रतिवादी का यह तर्क है कि उक्त विवादित स्थल जो प्रदर्श डी–1 में दर्शाया है वह रास्ते की भूमि का भाग है, जिस पर वादी ने डेढ वर्ष पूर्व पक्का निर्माण करा लिया है और उसे अवरुद्ध कर लिया है। इस तथ्य के संबंध में प्रतिवादी की ओर से एकमात्र दस्तावेज प्रदर्श डी–1 को पेश किया है। हालांकि अन्य दस्तावेजात भी प्रतिवादी की ओर से प्रदर्शित कराए हैं, लेकिन इस संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श डी–3 है, जो कि मंजूरी नक्शा है, जो प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा लिया गया है। गवाह डी.डब्ल्यू–1 अपने प्रतिपरीक्षण में यही कथन करता है कि प्रदर्श डी–3 मकान निर्माण मंजूरी उसके बाबा नौजीराम ने ली थी। उक्त नक्शे का अवलोकन करें तो उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी के घर की चौडाई उत्तर में 31 फुट 6 इंच दक्षिण की ओर 35 फुट, पूर्व–पश्चिम की ओर लंबाई 87 फुट, यहां प्रतिवादी की मकानियत के पश्चिम में मक्खन जाटव का कच्चा मकान और बीधा जाटव का कच्चा मकान होना दर्शित किया है। साथ ही दक्षिण में 3 फुट चौडी गली दर्शाई है और परभाती जाटव का मकान दर्शाया है।

18. इसके साथ ही अब प्रतिवादी की मकानियत के उत्तर दिशा की ओर जहां विवादित स्थल स्थित है, का अवलोकन करें तो प्रतिवादी की मकानियत के सामने उत्तर दिशा की ओर एक तरफ स्वयं प्रतिवादी की जमीन दर्शाई है, जिसमें नीम का पेड लगा हुआ है, जिसकी एक तरफ लंबाई 15 फीट, दूसरी ओर 22 फुट की गोलाई स्थित है। उसके पश्चात् विवादित स्थल की तरफ प्रतिवादी के मकान से उत्तर दिशा की ओर जाने के लिए 4 फुट चौडा रास्ता है जो शामलाती है। उसके तुरंत पश्चात कच्चा मकान मक्खन, परभाती, चिरंजी जाटव दर्शाया गया है और प्रतिवादी के द्वारा जो विवादित स्थल बताया गया है, वह यही स्थल बताया गया है, जिसे प्रतिवादी की मंजूरी में मकान मक्खन, परभाती, चिरंजी जाटव अंकित किया है। अन्य दस्तावेजों के मुकाबले उक्त दस्तावेज स्वयं एक ऐसा दस्तावेज है जो इस संबंध में प्रकरण की स्थिति को स्पष्ट कर सकता है। इस संबंध में अवलोकन करें तो उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी के मकानियत की चौडाई 31 फुट 6 इंच दर्शाई है, जिसमें से आधा हिस्सा में स्वयं प्रतिवादी की जमीन बताई है, जिस पर नीम का पेड लगा हुआ है, उसके तुरंत पश्चात 4 फुट का निकास है जो शामलाती दर्शाया है, जो प्रतिवादीगण की मकानियत के बीचोंबीच आता है और उसके तुरंत पश्चात वादी की मकानियत को दर्शाया है, जिससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादी का विवादित हिस्सा पूर्व से ही प्रतिवादी के उत्तर दिशा की ओर

था। चूंकि यह प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज निर्माण मंजूरी प्रदर्श डी–3 से स्पष्ट होता है। हालांकि उक्त प्रदर्श डी–3 में प्रतिवादी के पश्चिम की ओर कोई गली नहीं दर्शाई है, जबकि प्रतिवादी ने अपने नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 में गली को दर्शाया है, अर्थात् दस्तावेज प्रदर्श डी–3, प्रदर्श डी–1 का पूर्ण रूप से समर्थन नहीं करता है, लेकिन यह तथ्य अवश्य स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी के उत्तर पश्चिम कोने पर वादी की मकानियत पूर्व से बनी हुई थी, जब उक्त निर्माण मंजूरी जारी की गई थी। ऐसे में विवादित स्थल जिसको प्रतिवादी ने अपने नजरी नक्शे में दर्शाया है उस पर पूर्व से ही वादी के कब्जे की मकानियत बना होना दर्शाया है।

19. साथ ही दूसरी ओर गौर करें जिसका तर्क प्रतिवादीगण ने दौराने बहस उठाया है कि जो गली प्रतिवादी ने नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 में पश्चिम दिशा की ओर दर्शाई है वह प्रतिवादी ने अपनी भूमि में से बाद निर्माण मंजूरी छोडी है। चूंकि यहां इस तथ्य का स्पष्ट होना भी आवश्यक है कि क्या गली पूर्व में थी या नहीं। यदि गली पूर्व में नहीं थी तो गली किसके द्वारा छोडी गई। इस तथ्य के लिए निर्माण मंजूरी प्रदर्श डी–3 का अवलोकन करें तो निर्माण मंजूरी प्रदर्श डी–3 में प्रतिवादी की मकानियत की लंबाई चौडाई इस प्रकार दर्शाई हैं कि लंबाई दक्षिण से उत्तर की ओर 87 फुट है एवं पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौडाई दर्शाई है वह 31 फुट 6 इंच व 35 फुट दर्शाई है। अर्थात् उत्तरी तरफ में कोने की चौडाई 31 फुट 6 इंच व दक्षिण तरफ में चौडाई 35 फुट दर्शाई है। अब यहां प्रदर्श डी–3 के साथ–साथ प्रदर्श डी–1 का भी अवलोकन करें तो प्रदर्श डी–1 में प्रतिवादी ने अपने मकानियत की उत्तर दिशा की ओर चौडाई 31.6 एवं दक्षिण दिशा की ओर चौडाई 35 फुट दर्शाई है, अर्थात् प्रतिवादी को जो निर्माण मंजूरी पूर्व में दी गई थी, उस निर्माण मंजूरी के अनुसार भूमि आज भी प्रतिवादी के पास है, जो प्रतिवादी के नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 से स्पष्ट है। चूंकि जहां प्रतिवादी को जिस क्षेत्रफल की निर्माण मंजूरी दी गई थी और वहीं उसी क्षेत्रफल में आज प्रतिवादी का मकान बना हुआ है, अर्थात् प्रतिवादी के द्वारा अपनी मकानियत से कोई भी भूमि गली हेतु नहीं छोडी गई है। इस प्रकार वादी के द्वारा गली छोडना प्रकट होता है। साथ ही उक्त गली के सामने जो रास्ता है, उस पर भी प्रतिवादी की मकानियत पूर्व से बनी होना निर्माण मंजूरी के अनुसार स्पष्ट होता है। चूंकि 4 फुट निकास शामलाती रास्ता के तुरंत पश्चात पश्चिम की ओर वादी की जायदाद दर्शाई गई है और उक्त जायदाद को स्वयं प्रतिवादी की ओर से ही प्रदर्शित करवाया गया है। ऐसे में वादी की मकानियत पूर्व से बनी होना और उक्त जगह वादी की होना स्वयं प्रतिवादी के दस्तावेज से ही स्पष्ट है।

20. इसी के साथ चूंकि गवाह डी.डब्ल्यू–1 अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि प्रदर्श डी–3 में तरफ पश्चिम चपेटा बीधा जाटव का मकान गलत लिखा हुआ है। गवाह आगे यह कथन करता है कि प्रदर्श डी–3 में तरफ उत्तर में रास्ता 4 फुट शामलात लिखा हुआ गलत है। अर्थात् उक्त गवाह प्रदर्श डी–3 में जो पश्चिम मकान चपेटा बीधा जाटव का दर्शाया है और तरफ उत्तर में जो रास्ता 4 फुट शामलात लिखा हुआ दर्शाया है, उसको गलत बताता है। साथ ही गवाह डीडब्ल्यू–4 जानकीप्रसाद भी अपने

प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि मक्खन, बीधा के मकान उनसे चपेटा नहीं बने हुए हैं। इस प्रकार उक्त गवाह जिसके द्वारा मकान मंजूरी को प्रदर्श डी–3 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, उसी दस्तावेज को गलत होना अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है। चूंकि गवाह अपने जवाबदावा/काउंटर क्लेम के पैरा संख्या 11 में यह कथन करता है कि काउंटर क्लेम के साथ संलग्न नक्शा प्रदर्श डी–1 में रंग आसमानी से दर्शित में प्रतिवादीगण की मकानियत के तरफ पूर्व में 3 फीट चौडी रास्ता गली स्थित है, जिसमें प्रतिवादी व उसके चचेरे भाइयों व तरफ दक्षिण में बसावट करने वाले गांव के व्यक्ति आवागमन रास्ता गली के रूप में करते चले आ रहे हैं। इसके संबंध में गली का अवलोकन करना भी आवश्यक हो जाता है, जिसका विस्तृत विवेचन हालांकि पूर्व में किया जा चुका है।

21. आगे गवाह अपनी काउंटर क्लेम के पैरा संख्या 12 में यह कथन करता है कि काउंटर क्लेम के साथ पेशकर्दा नक्शे में रंग आसमानी से से दर्शित जायदाद को प्रतिवादीगण के पूर्वज दौजीराम उर्फ नौजीराम ने दिनांक 28.04.83 को नक्शा मंजूरी प्राप्त कर निर्माण कराया था तथा इस नक्शा मंजूरी के तरफ पश्चिम में स्थित मकानियत वालों ने 3 फुट चौडी गली रास्ता निकास छोडा था, जिसे वादी ने अतिक्रमण कर रखा है। अर्थात् उक्त गवाह के काउंटर क्लेम से ही यह तथ्य स्पष्ट होता है कि नक्शा मंजूरी प्रदर्श डी–3 के तरफ पश्चिम में जो बीधा जाटव व मक्खन जाटव की मकानियत स्थित हैं, उनके द्वारा 3 फुट चौडी गली रास्ता निकास छोडा गया था। इस प्रकार यह तथ्य तो भलीभांति स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त 3 फुट चौडी गली नहीं छोडी गई थी। आगे गवाह गिर्राज डीडब्ल्यू–1 की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उक्त गवाह अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात को सही होना स्वीकार करता है कि तरफ पश्चिम में वादी रमला या उसके पिता ने पूरी गली छोडी हो तो वह नहीं बता सकता। अर्थात् उक्त गवाह के इस कथन से यह तथ्य स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा ही गली छोडी गई थी। चूंकि गवाह यह कथन करता है कि रमला या उसके पिता ने पूरी गली छोडी हो तो वह नहीं बता सकता अर्थात् उक्त गवाह यह तो स्वीकार करता है कि रमला या उसके पिता ने पूरी गली नहीं छोडी तो कम से कम कुछ फुट गली अवश्य छोडी थी। उक्त गवाह आगे यह भी स्वीकार करता है कि रमला के मकान के लिए उसके पिता व बाबा ने आपत्ति नहीं की, अर्थात् जब रमला ने मकान बनाया था तो उस समय उसके पिता या बाबा ने कोई आपत्ति भी नहीं की थी। उक्त गवाह आगे यह कथन करता है कि गली घेरने के बाद परेशानी हुई थी, किंतु आगे गवाह यह भी स्वीकार करता है कि गली से उनका आना–जाना नहीं है, लेकिन पानी का निकास है। गवाह डीडब्ल्यू–4 जानकीप्रसाद भी अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन करता है कि 3 फुट गली में उनके पूरे परिवार का पानी जाता है। यदि प्रतिवादीगण का उस गली में आना जाना ही नहीं है और वह गली पानी के निकास के लिए है, तो फिर प्रतिवादीगण को किस प्रकार आपत्ति है, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है।

22. इसी के साथ निर्माण मंजूरी के निर्णय का भी अवलोकन किया गया जो प्रतिवादी ने अपनी मकानियत बनाने के लिए ली थी। जिसमें भी 3

फुट गली का कोई इंद्राज प्रतिवादी के पक्ष में नहीं है, बल्कि तरफ पूर्व में 13 फुट रास्ता छोडकर निर्माण मंजूरी प्रतिवादी को दी गई। इस प्रकार निर्माण मंजूरी और उसका निर्णय प्रदर्श डी–4 तीनों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि जहां प्रतिवादी ने उत्तर दिशा की ओर अपना 4 फुट शामलाती रास्ता बताया है उसके पश्चिम दिशा की ओर वादी का मकान था जो स्वयं मंजूरी से स्पष्ट है कि जिस स्थल को प्रतिवादी ने लाल रंग से दर्शित किया है उक्त स्थल पूर्व से ही वादी का था, जिस पर प्रतिवादी को निर्माण मंजूरी जारी करते समय भी वादी की मकानियत बनी हुई थी।

23. दूसरी ओर दस्तावेज प्रदर्श डी–5 जो प्रतिवादी ने प्रदर्शित कराया है और उसके आधार पर गली को स्वयं की होना बताया है और यह कथन किया है कि वादी की मकानियत नजरी नक्शे प्रदर्श डी–1 में लाल रंग से दर्शित स्थल से पश्चिम दिशा की ओर पीछे थी लेकिन वादी ने कालांतर में उसे आगे बढा दिया और उक्त गली भी प्रतिवादी के द्वारा छोडी गई है। इसके संबंध में प्रदर्श डी–5 जिसे प्रतिवादी ने गली के लिए प्रदर्शित कराया है का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय दिनांक 10.04.83 का है, जिसमें दिनांक 10.04.83 को नौजीराम के पक्ष में नाली परनाले निकालने की मंजूरी जारी की गई, जिससे यह स्पष्ट है कि नौजीराम के मंजूरी मुताबिक नक्शा के नापतौल की गई, जिसमें नौजीराम द्वारा मुताबिक नक्शा के 3 फीट व 4 फीट स्वयं की जमीन में से छोडकर मकान की नींव भरी हुई पाई गई। यह रिपोर्ट दिनांक 15.03.1983 को पंच कमीशन द्वारा पेश की गई। उस रिपोर्ट के आधार पर समिति ने विचार विमर्श करते हुए निर्विवादित किया कि तरफ पश्चिम नौजीराम की 3 व 4 फुट गली स्वयं की मानते हुए, इस तरफ मोरी व परनाले व जंगला लगाने की स्वीकृति दी गई। बाद विचार विमर्श के पत्रावली दफ्तर दाखिल की गई। इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से प्रदर्श डी–5 प्रदर्शित कराया है। उक्त दस्तावेज में 15.03.83 की पंच कमीशन की रिपोर्ट को आधार मानते हुए दिनांक 10.04.83 को नौजीराम को पश्चिम दिशा की ओर नाली, परनाले निकालने की अनुमति दी गई और यह माना कि उक्त गली 3–4 फुट प्रतिवादी नौजीराम के द्वारा छोडी गई है। इसी के साथ दस्तावेज प्रदर्श डी–3 नक्शा मंजूरी का अवलोकन करें तो नक्शा मंजूरी में जो प्रतिवादी की मकानियत है, उसकी चौडाई उत्तर की ओर 31.6 फुट व दक्षिण की ओर 35 फुट दर्शाई है एवं आज जो नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 प्रतिवादी के द्वारा पेश किया गया है, उसमें भी चौडाई उत्तर की ओर 31.6 फुट व दक्षिण की ओर 35 फुट दर्शाई है। ऐसे में जब प्रतिवादी को जिस स्थल की जिस क्षेत्रफल की मंजूरी दिनांक 24.12.68 को प्राप्त हुई थी और 10.04.83 को पुनः पंचों के द्वारा स्थल देखा गया तो पश्चिम की ओर प्रतिवादी की 3–4 फुट गली दर्शाई है लेकिन यहां यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी के पास जितना क्षेत्रफल दिनांक 24.12.68 को था उतना ही क्षेत्रफल आज भी प्रतिवादी के पास है, तो फिर प्रतिवादी ने 3 फुट गली कहां पर छोडी, जबकि प्रदर्श डी–4 जो दस्तावेज है उसमें पूर्व की ओर 13 फुट रास्ता छोडकर पक्का निर्माण की मंजूरी दी गई है अर्थात् प्रतिवादी पूर्व की ओर 13 फुट रास्ता छोडने के लिए बाध्य है। उसी अनुसार उसको निर्माण मंजूरी दी गई है और पश्चिम की ओर

उसकी जगह आज भी 31.6 फुट व 35 फुट स्थित है तो फिर वादी ने 3 फुट गली कहां से छोडी यह तथ्य प्रतिवादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। अर्थात् प्रतिवादी के दस्तावेज से भी यह तथ्य संभावनाओं के प्रतिपादन के सिद्धांत के अनुसार साबित नहीं होता है कि जो पश्चिम दिशा की ओर गली है, वह प्रतिवादी ने छोडी हो और जो वादी ने अपनी मकानियत बना रखी है वह प्रतिवादी की निर्माण मंजूरी प्रदर्श डी–3 के अनुसार पूर्व से ही वादी की भूमि में बना हुआ प्रकट होता है।

24. प्रतिवादीगण ने तनकी संख्या 4 में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। इस संबंध में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा/काउंटर क्लेम में यह कथन किया है कि शामलाती चौक प्रतिवादीगण का है, जबकि वादी ने अपने जवाब उल जवाब में यह कथन किया है कि शामलाती चौक में होकर वादी का रास्ता निकास है। साथ ही वादी ने अपने जवाब उल जवाब के पैरा संख्या 12 में यह कथन किया है कि उक्त मंजूरी प्रदर्श डी–3 जो प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई है, उस पर कहीं पर भी सचिव/सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है, इस कारण उक्त मंजूरी फर्जी व बनावटी है क्योंकि दिनांक 28.04.1983 को कोई मंजूरी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जगह पर निर्माण किया है। चूंकि स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रतिवादीगण को तभी प्रदान किया जा सकता है, जब वह यह साबित कर दे कि आसमानी रंग से दर्शित सम्पूर्ण जायदाद उसके आधिपत्य की है और चूंकि वादी द्वारा दौराने बहस भी आपत्ति शामलाती चौक के संबंध में की है कि उक्त शामलाती चौक प्रतिवादीगण का नहीं है। इस संबंध में नक्शा प्रदर्श डी–3 का अवलोकन करें तो उसमें उत्तर पूर्व की गोलाई 22 फुट दर्शाई है तथा पश्चिम की ओर 15 फुट दर्शाई गई है, उसके मध्य में पेड नीम का व यह जमीन खुद की यानी प्रतिवादीगण की होना लिखा है। जबकि वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रदर्श पी–2 पेश किया गया है, उसमें पूर्व में 3 फुट गली होने के बाद चौक शामलाती रमला होना दर्शित किया है जो कि मकान नौजीराम के उत्तर में है। अब चूंकि एक तरफ प्रदर्श डी–3 में शामलाती चौक वाली जमीन प्रतिवादीगण की बताई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्श पी–2 में चौक शामलाती रमला होना बताया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य पर गौर करें तो किसी भी गवाहान से दौराने जिरह शामलाती चौक के संबंध में कोई विशेष कथन नहीं किया गया है। वादी की ओर से अपने साक्ष्य शपथ पत्र और जवाब उल जवाब में यह तर्क उठाया है कि मंजूरी प्रदर्श डी–3 जो प्रतिवादीगण द्वारा पेश की गई है, उस पर कहीं पर भी सचिव/सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर नहीं है, इस कारण उक्त मंजूरी फर्जी व बनावटी है क्योंकि दिनांक 28.04.1983 को कोई मंजूरी ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं की गई और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अपनी जगह पर निर्माण किया है। इस संबंध में प्रदर्श डी–3 को हस्ताक्षर और मोहर होने के संबंध में अवलोकन करें तो उक्त दस्तावेज पर बाबूलाल के हस्ताक्षर होना तो प्रकट होता है, किंतु मोहर लगी होना प्रकट नहीं होता है और नक्शा प्रदर्श पी–2 का अवलोकन करें तो उसमें बाबूलाल के हस्ताक्षर होने के साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत पाली, पंचायत समिति की मोहर लगी होना स्पष्ट है। ऐसे

में प्रतिवादीगण के दस्तावेज प्रदर्श डी–3 के मुकाबले वादी के दस्तावेज प्रदर्श पी–2 के असली होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ यहां यह तथ्य भी स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा पेश किए गए नक्शा प्रदर्श डी–1 से स्पष्ट होता है कि जो शामलाती चौक की जगह है वह खाली जगह है, अर्थात् प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण मंजूरी प्राप्त करने के बाद भी उस जगह पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। इस प्रकार यहां वादी द्वारा अपने जवाब उल जवाब में किए गए कथन कि प्रतिवादीगण द्वारा शामलाती चौक की जगह पर निर्माण नहीं किया है, भलीभांति साबित होता है।

25. इस प्रकार पूर्व में किए गए विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट है कि काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र प्रदर्श डी–1 में जो गली दर्शित की गई है, वह प्रतिवादीगण के द्वारा नहीं छोडी गई है और संलग्न मानचित्र में रंग सुर्ख से जो अवैध निर्माण को दर्शाया गया है, वह वादी का मकान है जो स्वयं मंजूरी से स्पष्ट है कि जिस स्थल को प्रतिवादी ने लाल रंग से दर्शित किया है उक्त स्थल पूर्व से ही वादी का था, जिस पर प्रतिवादी को निर्माण मंजूरी जारी करते समय भी वादी की मकानियत बनी हुई थी। चूंकि यदि मंजूरी जारी करने से पूर्व से ही वादी की मकानियत बनी हुई थी तो फिर प्रतिवादी के द्वारा वादी के पहले से हुए निर्माण को तुडवाया नहीं जा सकता है। प्रतिवादीगण का दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि काउंटर क्लेम के साथ संलग्न नक्शे में रंग आसमानी से दर्शित जायदाद प्रतिवादी एवं उसके चचेरे भाई के स्वामित्व व आधिपत्य की शामलाती है, जबकि प्रदर्श डी–3 जो नक्शा मंजूरी प्रतिवादीगण की ओर से पेश की गई है, उसके मुताबिक जहां 4 फुट निकास शामलात दर्शाया गया है, वह प्रदर्श डी–1 में नहीं दर्शाया गया है और जहां तक प्रदर्श डी–3 का अवलोकन करें तो उसमें वादी का मकान प्रतिवादी के मकान के उत्तर पश्चिम भाग में दर्शाया गया है। इस प्रकार दोनों दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श डी–1 में सुर्ख रंग से दर्शित विवादित स्थल वादी का ही है, जिस पर उसने निर्माण कर रखा है, बल्कि प्रतिवादी की ओर से जो दस्तावेज प्रदर्श डी–3 नक्शा मंजूरी प्रदर्शित कराया गया है, उसके अनुसार प्रदर्श डी–1 नहीं बना हुआ है यानी मेल नहीं खाता है। चूंकि प्रतिवादीगण का शामलाती चौक की खाली जगह पर कोई पक्का निर्माण नहीं है और प्रतिवादीगण द्वारा यह भी साबित नहीं किया है आसमानी रंग से दर्शित सम्पूर्ण जायदाद प्रतिवादीगण के आधिपत्य की है और न ही शामलाती चौक के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य आई है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त शामलाती चौक प्रतिवादीगण के ही उपयोग उपभोग का है। चूंकि प्रतिवादीगण की ओर से इस संबंध में जो प्रदर्श डी–3 पेश किया है, तो वहीं वादी की ओर से जवाब उल जवाब के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–2 पेश किया है और उक्त दस्तावेज से वादी यह संभावना व्यक्त करवाने में सफल रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया दस्तावेज प्रदर्श डी–3 बनावटी है और वादी द्वारा पेश किए गए दस्तावेज प्रदर्श पी–2 असली है, जिसका हालांकि विवेचन पूर्व में किया जा चुका है।

26. जहां तक प्रतिवादीगण ने जो स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष शामलाती चौक के संबंध में चाहा है, इसके लिए प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी–3 को अपना आधार बताया है। प्रदर्श डी–3 1983 की मंजूरी है, जबकि वर्तमान में जो नक्शा प्रदर्श डी–1 पेश किया है, उसकी परिस्थितियां भिन्न हैं, नापतौल भी भिन्न है। चूंकि प्रदर्श डी–3 में प्रतिवादी के मकान के उत्तर की ओर 4 फुट निकास शामलाती रास्ता और पेड नीम व जमीन खुद की दर्शाई है, जिसकी नाप उत्तर से दक्षिण 15 फुट व पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर 22 फुट दर्शाई है, जबकि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 में उक्त रास्ता निकास शामलात 4 फुट को नहीं दर्शाया गया है। दूसरी ओर अपने मकान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 87 फुट के पश्चात 8 फुट की लंबाई अलग से एवं उसके पश्चात 22 फुट उत्तर–पूर्व की ओर दर्शाई है। जबकि मंजूरी प्रदर्श डी–3 जो 28.04.1983 को जारी होना बताया है, में 8 फुट का कोई स्थल नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी जिस शामलाती चौक के संबंध में वादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहता है, वह निकास प्रदर्श डी–1 को साबित नहीं कर पाया है। हालांकि मौखिक साक्ष्य जो उभय पक्षकारान की ओर से पेश की गई है, उनके आधार पर प्रतिवादी यह चाहता है कि वादी के गवाहों ने आज की परिस्थिति को प्रमाणित किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दस्तावेजी साक्ष्य के सामने मौखिक साक्ष्य अधिक प्रबल हो, जबकि गवाहों से जो प्रतिपरीक्षण किया है वह वर्तमान परिस्थिति के संबंध में किया है और वर्तमान परिस्थिति को प्रतिवादी स्वयं के द्वारा अपने नजरी नक्शा प्रदर्श डी–1 में स्पष्ट किया है, लेकिन नक्शा प्रदर्श डी–1 मंजूरी प्रदर्श डी–3 से मेल नहीं खाता है, बल्कि उसके विपरीत प्रकट होता है। चूंकि जहां खाली शामलाती चौक की नाप 15 फुट एवं 22 फुट दर्शाई है, वहीं पर अब शामलाती चौक की नाप 11 फुट और 22 फुट दर्शाई है एवं शामलाती चौक व मकान के बीच में एक चबूतरा दर्शाया है, जिसके पूर्व की चौडाई 8 फुट व पश्चिम की चौडाई 4 फुट दर्शाई है जो मंजूरी प्रदर्श डी–3 में नहीं है। दूसरी ओर यहां प्रदर्श डी–3 व प्रदर्श पी–2 का एक साथ अवलोकन करें तो पूर्व में हालांकि इनका विवेचन किया जा चुका है, लेकिन उक्त मंजूरी प्रदर्श डी–3 28.04.83 को जारी होना प्रकट होता है, जबकि प्रदर्श पी–2 21.05.82 को जारी होना प्रकट होता है, जिससे प्रकट होता है कि वादी का दस्तावेज प्रदर्श पी–2 प्रतिवादी के दस्तावेज प्रदर्श डी–3 से एक वर्ष पूर्व का है, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर के साथ सील मोहर भी अंकित हैं। यहां प्रदर्श पी–2 में वादी के मकान के उत्तर–पूर्व की ओर चौक शामलाती रमला दर्शाया गया है एवं दक्षिण–पश्चिम की ओर मकान नौजीराम दर्शाया गया है, जिससे प्रकट होता है कि उक्त चौक शामलाती रमला का संभावनाओं के प्रतिपादन के सिद्धांत के अनुसार साबित होता है। इसी के साथ प्रतिवादी के दस्तावेज प्रदर्श डी–3 का भी इसी विवादित स्थल के संबंध में अवलोकन करें तो प्रतिवादी की मकानियत के उत्तर की ओर तीन परिस्थितियां अंकित हैं, जिसमें पूर्व की ओर शामलाती पेड नीम, यह जमीन खुद की, उसके पश्चात पश्चिम की ओर 4 फुट निकास शामलाती, उसके पश्चात पश्चिम की ओर कच्चा मकान मक्खन, परभाती, चिरंजी जाटव का

अंकित है। अर्थात् 4 फुट निकास के पश्चिम की ओर प्रतिवादी की मकानियत नहीं थी। वहीं पर ग्राम पंचायत पाली का निर्णय दिनांक 21.05.82 व उसकी मंजूरी दोनों का अवलोकन करें तो यहां शामलाती चौक मक्खन, परभाती व वादी के सामने होना प्रकट होता है। दोनों दस्तावेजी साक्ष्य जो वादी और प्रतिवादी की ओर से पेश की गई हैं, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मक्खन जाटव और वादी का मकान चपेटा है, उनके सामने शामलाती चौक रमला वादी का है। ऐसे में जहां प्रतिवादी वादी की मकानियत के सामने अंकित चौक को शामिल करते हुए आसमानी रंग से दर्शित जायदाद के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं करने का जो अनुतोष चाहता है, उसके संबंध में न्यायालय पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादी के अनुतोष को इस हद तक तो स्वीकार करता है कि आसमानी रंग से दर्शित जायदाद 87X31.6 फुट प्रतिवादी स्वयं की मकानियत है, लेकिन जो चौक है, वह शामलाती है। इस प्रकार वादी तनकी संख्या 4 के आधार पर अपनी मकानियत के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं होने तक का अनुतोष पाने का अधिकारी तो है, लेकिन शामलाती चौक के संबंध में इस प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी प्रकट नहीं होता है क्योंकि उक्त चौक शामलाती होना वादी और प्रतिवादी दोनों के ही दस्तावेज से स्पष्ट है। दोनों ओर से पेश किए गए दस्तावेज प्रदर्श डी–3 व प्रदर्श पी–2 से चौक की जगह शामलाती होना स्पष्ट है एवं अन्य आसमानी रंग से दर्शित प्रदर्श डी–1 की जायदाद प्रतिवादी की होना भी स्पष्ट हुआ है। अतः यहां प्रतिवादी के पक्ष में 87X31.6 फुट जो मकानियत प्रतिवादी की है उस सीमा तक प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है, लेकिन प्रतिवादी की ओर से जो अन्य अनुतोष चाहे हैं वह प्रतिवादी के पक्ष में जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि शामलाती संपत्ति पर अकेले प्रतिवादी को उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ओर से पेश किए गए दस्तावेज से चौक का शामलाती होना प्रकट होता है और जब कोई संपत्ति शामलाती है तो अकेले प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी करने से अन्य व्यक्तियों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है जो वर्तमान में आवश्यक पक्षकार मुकदमा भी नहीं बनाए गए हैं, जबकि प्रतिवादी स्वयं यह स्वीकार करता है कि शामलाती चौक उसके अन्य चाचा–भाइयों का भी है तो यहां शामलाती चौक के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के लिए उसे उस शामलाती चौक का उपयोग उपभोग करने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक था, लेकिन उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। फिर भी यहां प्रतिवादी ने प्रदर्श डी–1 के अनुसार आसमानी रंग से सम्पूर्ण जायदाद को शामिल करते हुए शामलाती चौक को दर्शाया है, जबकि साक्ष्य से और वादी के कथनों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी की एक जायदाद जिसकी लंबाई–चौडाई उत्तर की ओर 31.6 फुट, दक्षिण की ओर 35 फुट, पूर्व–पश्चिम की ओर 87 फुट प्रतिवादी की है, लेकिन शामलाती चौक में अन्य व्यक्तियों के उपयोग उपभोग को रोका जाए यह अनुतोष प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया है।

27. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण तनकी संख्या 03 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। वहीं तनकी संख्या 4 को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसे में तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरुद्ध व वादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 4 आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादी के विरुद्ध तय की जाती हैं।

अनुतोष

28. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 01 व 02 को साबित करने का भार वादी पर था, किंतु वादी द्वारा अपना वाद विड्रॉ कर लिया गया है, जिस कारण उक्त विवाद्यक संख्या 01 व 02 खारिज की गई हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को तनकी संख्या 03 व 04 को अपने पक्ष में साबित करना था, लेकिन पूर्व में किये गये विवेचनानुसार प्रतिवादीगण ने तनकी संख्या 03 को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अपने पक्ष में साबित नहीं किया है जिस कारण विवाद्यक सं0 03 का निस्तारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध व वादी के पक्ष में तय किया गया है एवं विवाद्यक संख्या 04 को प्रतिवादीगण आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। ऐसे में विवाद्यक संख्या 04 को इस हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना कि काउंटर क्लेम के साथ संलग्न मानचित्र में रंग आसमानी से दर्शित 87X31.6 फुट जो मकानियत प्रतिवादी की है उस सीमा तक प्रतिवादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा व रुकावट नहीं करेंगे व निर्माण करने से नहीं रोकेंगे, इस प्रकार का आदेश दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। प्रतिवादी इस प्रकार का अनुतोष तनकी संख्या 04 के संबंध में आंशिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

29. अतः वाद वादी रमला सिंह विरूद्ध प्रतिवादीगण गिर्राज वगैरह बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व मैंडेटरी इंजक्शन विड्रॉ किये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउंटर क्लेम बाबत मैंडेटरी इंजक्शन पूर्ण रूप से एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष आंशिक रूप से खारिज किया जाता है और प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम मात्र इस हद तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी प्रतिवादीगण की मकानियत जिसकी लंबाई चौडाई उत्तर में 31.6 फुट, दक्षिण में 35 फुट, पूर्व—पश्चिम में 87 फुट के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें और निर्माण करने से नहीं रोकें। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना स्वयं वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

(नमोनारायण मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या—01 वैर जिला भरतपुर

30. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमोनारायण मीणा)
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश,
संख्या–01 वैर जिला भरतपुर